



2286710

2286709

राज्य नगरीय विकास अभियान

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

website—www.sudaup.org

e-mail : pmusuda@gmail.com

पत्रांक— 3368 / 241 / NULM / तीन / 2014 (EST & P)—2 दिनांक— ०२/१२/१५

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान,
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर निगम,
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झाँसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत
लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़,
बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्मल, चौमुखी,
शिकोहाबाद, मुगलसराय, बड़ौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद,
फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर,
कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर,
मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर,
उन्नाव, औरेया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी
(गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ,
प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र), अमेठी,
झानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा
भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय—राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवानियोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी०) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को किये जाने वाले भुगतान के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवानियोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी०) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के बिन्दु संख्या –3 के प्रस्तर 8. में उल्लिखित है कि "The SULM shall reimburse the training cost of only successful and certified candidates to the STPs."। इससे स्पष्ट है कि केवल सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाणीकरण परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षणार्थियों की धनराशि ही प्रशिक्षणदाता संस्थाओं को भुगतान की जायेगी। स्पष्ट है कि प्रमाणीकरण से पूर्व संस्थाओं को भुगतान की जाने वाली धनराशि का समायोजन होगा। अतः भुगतान प्राधिकारी उक्त धनराशि के समायोजन के दृष्टिगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भुगतान करेंगे।"

2. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण बैच के कुल पास होने वाले प्रशिक्षणार्थियों के आधार पर 80 प्रतिशत आगणन कर पूर्व भुगतानित धनराशि समायोजित कर भुगतान किया जायेगा। अतः प्रथम भुगतान हेतु 80 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष ही आंकलन किया जाये। प्रथम भुगतान की जाने वाली धनराशि से असेसमेन्ट लागत हेतु ₹ 800/- प्रति प्रशिक्षणार्थी की भी कटौती की जानी है।

3. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को शेष 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेन्ट के पश्चात् किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही सम्मय सुनिश्चित कराये ताकि कौशल प्रशिक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जा सके।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव (एनयूएलएम), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
5. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभियान, उ०प्र०।
6. समस्त शहर मिशन प्रबन्धक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०।
7. श्री योगेश आदित्य, सहा० वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक